न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

सप्लाई विविध प्रकरण संख्या : 08/2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर		श्यामलाल पुत्र प्रहलादराम विश्नोई निवासी फींच, तहसील लूणी हाल गोदाम कीपर हनुमान पुरूषोतम गेस एजेन्सी, जोधपुर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थितिः 1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार श्री पुष्पराज पालीवाल प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर।
2 अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री भंवर सिंह गौड अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 13/2/26

प्रार्थी राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय नियन्त्रण) आदेश 2000 के अन्तर्गत अप्रार्थी श्यामलाल पुत्र प्रहलादराम विश्नोई निवासी फींच, तहसील लूणी हाल गोदाम कीपर हनुमान पुरूषोतम गेस एजेन्सी, जोधपुर के विरूद्ध यह प्रकरण जब्तसुदा 05 घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात करने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 10.10.2022 को मूखबीर से प्राप्त सुचना अनुसार जिला रसद अधिकारी प्रथम के निर्देशानुसार हनुमान पुरूषोतम गेस एजेन्सी, जोधपुर के झालामण्ड स्थित गैस गोदाम की आकस्मिक जांच की गई। मौकास्थल पर उपस्थित व्यक्ति ने अपना नाम श्यामलाल पुत्र प्रहलादराम जाति विश्नोई एंव स्वंय को गोदाम कीपर होना बताया। गोदाम में रखे सिलेण्डरों का वनज करने पर कुल 05 सिलेण्डरों में गैस का वजन कम पाया गया। जिससे प्रतीत होता है कि

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

गोदाम कार्मिकों द्वारा उक्त सिलेण्डरों से गैस निकाली गयी है अथवा अवैध रिफलिंग कार्य किया गया है, जिस कारण उक्त सिलेण्डरों को जब्त किया जाकर मौका फर्द तैयार की गई।
मौके पर पाये गये कुल 05 घरेलु गैस सिलेण्डरों का विवरण इस प्रकार है:-

क्र. स.	गैस कम्पनी का नाम	एस.आर.नम्बर	खाली सिलेण्डर का वनज	कुल वजन मय गैस	गैस का वजन (किलो में)
1.	एच.पी.	862838 s	15.9 कि.ग्रा.	19.6 कि.ग्रा.	3.7कि.ग्रा.
2.	एच.पी.	71319 s	15.9 कि.ग्रा.	20.1 कि.ग्रा.	4.2कि.ग्रा.
3.	एच.पी.	060156 B	15.9 कि.ग्रा.	23.2 कि.ग्रा.	7.3 कि.ग्रा.
4.	एच.पी.	38679 E	16.4 कि.ग्रा.	25.2 कि.ग्रा.	9.0 कि.ग्रा.
5.	एच.पी.	304914 T	15.4 कि.ग्रा.	18.9 कि.ग्रा.	3.5 कि.ग्रा.

उक्त 05 सिलेण्डर को जब्त कर श्री भवानी सिंह पुत्र मोहन सिंह प्रतिनिधी सुर्यनगरी गेस एजेन्सी को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त 05 घरेलु गैस सिलेण्डरों का गैस चोरी/अवैध रिफलिंग में उपयोग किया जाना पाया गया जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी द्वारा धारा 6(ए) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्त उक्त कुल 05 घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात् किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण में प्रार्थी विभागीय पेरोकार की बहस सुनी गयी। प्रार्थी विभागीय पेरोकार श्री पुष्पराज पालीवाल प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा वक्त जांच मौके पर उक्त 05 घरेलु गैस सिलेण्डरो मे से अवैध गैस रिफलिंग कारित होना पाया गया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है जिसके कारण जब्त उक्त कुल 05 घरेलु गैस सिलेण्डर को राज्यसात किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी को न्यायालय हाजा से जारी नोटिस क्रमांक 601 दिनांक 28.11.2022 बाद तामिल प्राप्त हुआ। नोटिस तामिली उपरान्त अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता भंवर सिंह गौड द्वारा न्यायालय हाजा में वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाब हेतु समय चाहा गया। गत 01 वर्ष से प्रकरण में जवाब अप्राप्त। अप्रार्थी

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

अधिवक्ता एंव अप्रार्थी स्वंय बावजूद सूचना न्यायालय में वक्त पेशी अनुपस्थित रहे। वक्त सुनवाई आवाज दी गई परन्तु अप्रार्थी/अधिवक्ता अनुपस्थित।

हमने विभागीय पेरोकार की बहस सुनी तथा तथ्यों पर मनन करते हुए प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एंव मौका फर्द अनुसार स्पष्ट है कि वक्त जांच मौके पर पाये गये उक्त 05 घरेलु गैस सिलेण्डरों में वजन जांच किए जाने पर गैस की मात्रा तय मानक वजन से कम पाया जाना स्पष्ट करता है कि उक्त सिलेण्डरों का उपयोग करते हुए अवैध गैस रिफलिंग/गैस निकालने का कृत्य कारित किया गया है।, जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है।

अतः प्रार्थी सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तसुदा कुल 05 घरेलु गैस सिलेण्डर (एचपी) को राज्यसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त जब्तसुदा कुल 05 घरेलु गैस सिलेण्डरों का नियमानुसार निस्तारण किया जाकर राशि राज्य कोष में जमा कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/2/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज.)

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर